

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**  
**कार्यपालक अभियंता यांत्रिक का कार्यालय**  
**सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मी, पटना।**  
**(अवलम्बित करबिगठिया, पटना)**

पत्रांक ..... 99 .....


पटना, दिनांक ..... 22.02.2024

**अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 11/2023-24**

1. निविदा निर्गत करने की तिथि : दिनांक 22.02.2024
2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक)  
सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मी, पटना।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि : दिनांक-05.03.2024 से 07.03.2024 तक  
कार्यालय अवधि में।
4. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक-09.03.2024 को 3.00 अपराह्न तक।
5. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक-09.03.2024 को 3.30 बजे अपराह्न में।
6. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय : इसकी सूचना अलग से दी जायेगी।
7. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : 1. मुख्य अभियंता (याँ) जल संसाधन विभाग, पटना।  
2. अधीक्षण अभियन्ता (याँ), सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक अंचल, पटना।  
3. कार्यपालक अभियन्ता (याँ) सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मी, पटना।
8. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान : क्रमांक 7 में वर्णित कार्यालयों में।
9. कार्य का विवरण :

1	2	3	4	5	6
सुप सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अदायन की राशि (रु. में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु.में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	Supply, Fitting, Fixing and Installation of 02 Nos. Gates in Exit Chamber of VAT in Nikrish Pump House Project in Buxar District.	9.93	19900.00	1250.00	15 Days

नोट : निविदा के नियमों / शर्तों एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय सूचना पट्ट तथा परिमाण विपत्र के बिक्री स्थानों पर संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण निविदा को वेबसाइट [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) एवं [www.wrd.bihnic.in](http://www.wrd.bihnic.in) पर देखा जा सकता है।

  
 22/2/24  
 कार्यपालक अभियंता यांत्रिक  
 सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमंडल,  
 वाल्मी, पटना।

सरकारी सेवा जन सेवा का माध्यम है, धर्म ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।

### निविदा के नियम एवं शर्तें

1. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाताओं को निविदा के साथ अद्यतन उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाताओं को दो मुहरबंद लिफाफों में निविदा दस्तावेज समर्पित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा पर तकनीकी निविदा तथा दूसरे लिफाफा पर वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा तकनीकी निविदा के लिए तथा द्वितीय लिफाफा वित्तीय निविदा के लिए होगा। तकनीकी निविदा वाले लिफाफा में स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र, उद्धम पंजीकरण प्रमाण-पत्र, फैंक्ट्री लाइसेंस, शपथ-पत्र, कर्मशाला निरीक्षण प्रतिवेदन, G.S.T. निबंधन संख्या, पैन संख्या, वांछित अग्रघन की राशि एवं चरित्र प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। द्वितीय मुहरबंद लिफाफा में दर अंकित कर (अंक एवं अक्षर दोनों में) जमा करना होगा। सिर्फ प्रथम लिफाफा अर्थात् उपरोक्त माप दण्डों के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं का ही दूसरा लिफाफा (वित्तीय निविदा) खोला जायेगा। अयोग्य निविदादाताओं का दूसरा लिफाफा (वित्तीय निविदा) यथावत् संबंधित निविदादाताओं को वापस कर दिया जायेगा।
4. अग्रघन की राशि विधिवत कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमण्डल, वाल्मी, पटना के नाम से अद्यतन प्रतिज्ञापित करना होगा। अग्रघन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवें निर्गम) या डाकघर सावधि जमा पासबुक (दो एवं तीन वर्षीय) के रूप में जमा करना होगा। यह राशि परिमाण विपत्र में अंकित राशि होगी जो प्राक्कलित राशि का 2 (दो) प्रतिशत होगा।
5. कार्य की प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है, अतएव परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर ही अग्रघन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा।
6. निविदादाता को कर्मशाला का फैंक्ट्री लाइसेंस जो फर्म या फर्म के मालिक के नाम से हो, निविदा के साथ में संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता के कर्मशाला में कार्य के अनुरूप उचित क्षमता का डीजल जेनरेटिंग सेट, वेल्टिंग मशीन जिससे 8 नम्बर का Electrode आसानी से गलाया जा सके एवं यंत्र-संयंत्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
8. निविदा के साथ निविदादाताओं को यांत्रिक कार्य सम्पादन हेतु कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक)/ अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) / मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत कर्मशाला का प्रमाण-पत्र, स्थान,

उपलब्ध मशीनों एवं तकनीकी कर्मियों की सूची संलग्न करना होगा। कर्मशाला प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक ही मान्य होगा।

9. निम्न आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

"I the undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/ forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as blacklisting."

10. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र के दर से कम उद्धृत करने पर पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 447(s) दिनांक 16.01.2020 सह पट्टि ज्ञापांक 447(s) दिनांक 26.01.2020 तथा विभागीय पत्रांक 50 दिनांक 20.01.2020 के कम में अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) जमा करना होगा।
11. निविदा प्राप्त की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेगी।
12. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ कर देना होगा अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
13. संवेदक/एजेन्सी के विपत्र से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती की जायेगी, जिनका अंतिम भुगतान संबंधित असेनिक प्रमंडल के प्रभारी कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य समय पर एवं संतोषप्रद होने का सम्पुष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा।
14. निविदा निष्पादन के दौरान जैसे निविदाकारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जायेगा। जिसके विरुद्ध विभाग में कालीकरण की कार्रवाई चल रही हो अथवा कार्य-कलाप संदेहास्पद हो।
15. विभाग द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों के मूल्य की कटौती संवेदक के विपत्र से प्राक्कलित राशि / निविदित राशि अथवा वास्तविक क्रय मूल्य में से जो अधिक होगा, की जायेगी
16. कार्य का एकरारनामा एफ-2 (कंडिक्क-23 विलोपित) पर किया जायेगा।
17. निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रकृति एवं कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाईयों से स्वयं अवगत हो लें। एकरारनामा सम्पादित कर लेने के बाद किसी कारण से

११८०

- कार्य सम्पादन में असमर्थ रहने वाले संवेदक नियमानुकूल दंडात्मक कार्रवाई के भागी होंगे।
18. प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार एवं विशिष्ट के अनुरूप संवेदक को कार्य करना होगा।
  19. G.S.T., आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
  20. श्रमिक कल्याण निधि मद में 1 (एक) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
  21. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  22. बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये निविदा के लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं होंगे।
  23. संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य एक वर्ष तक वारंटी के अन्तर्गत करना होगा तथा किसी तरह की खराबी आने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उन्हें मरम्मत कर पुनः क्रियाशील करना होगा।
  24. लौह सामग्रियाँ ख्याति प्राप्त निर्माता (यथा SAIL TATA RINL Shyam Steel Industry Ltd. Kolkata) द्वारा निर्मित है एवं अधिकृत विक्रेता से ही खरीदी गई है, माँगे जाने पर संवेदक को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
  25. निधि उपलब्ध होने के पश्चात् ही कार्य का भुगतान होगा।
  26. अपर मुख्य सचिव, गृह सचिव, बिहार पटना के पत्रांक-29 दिनांक 25.01.2021 के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
  27. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा, उन्हें एकरारनामा के समय निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने से संबंधित स्वहस्ताक्षरित वर्क सिड्यूल ( Work Schedule) (जो एकरारनामा का अभिन्न अंग समझा जायेगा)। समर्पित करने के बाद ही एकरारनामा किया जायेगा एवं कार्यदिश प्राप्त होते ही यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कर देना होगा, अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
  28. एक से अधिक निविदाकार के द्वारा समान न्यूनतम दर उद्धृत किये जाने की स्थिति में सफल निविदाकार का चयन बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 के प्रावधान के आलोक में लौटरी के माध्यम से किया जायेगा।

सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमण्डल  
 कार्यालय अभियंता (यां०)  
 सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमण्डल  
 बाल्मी, पटना